राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 201/2013/भीलवाड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत डुंगरपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स श्री सांई कृपा एन्टरप्राईजेज, भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री वी.के.गर्ग, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2012 जो अपील संख्या 97/वेट/12–13 के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दि. 03.04.2009 के विरूद्ध पेश की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उडनदस्ता, डुंगरपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 02.04.2009 को वाहन संख्या आरजे 27–1जी–0195 को खजूरी में परिवहन के दौरान चैक करने पर परिवहनित माल के साथ इन्वॉयस, जीआर एवं वेट 47 पाये गये। दस्तावेजों का अध्ययन करने पर सशक्त अधिकारी ने पाया कि वेट 47 प्रपत्र के बिन्दु संख्या 3 में संव्यवहार का प्रकार अंकित नहीं, कन्साईनी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये, राशि शब्दों में अंकित नहीं है एवं ना ही माल के प्रकार को अंकित किया गया है। अतः वेट 47 को अपूर्ण मानते हुए करापवंचना की मंशा के आधार पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 26,315/– आरोपित की गई, सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति अंतर्गत धारा 76(6) कों अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयक्षीय बहस सुनी गई।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ प्रारूप वेट 47 अपूर्ण पाया गया, जिससे व्यवहारी की करपवंचना की मंशा सिद्ध होती है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अनुचित बतलाते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि परिवहनित माल के साथ इन्वॉयस, जीआर एवं प्रपत्र वेट 47 पाये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना संलग्न दस्तावेजों में उपलब्ध थी, तत्पश्चात भी सशक्त अधिकारी ने बिना व्यवहारी की करापवंचना की मंशा सिद्ध किये अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित

लगातार.....2

की है, जो अविधिक प्रतीत होती है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सरकार बनाम डी.पी. मेटल्स (2002) 1 एससीसी 279 प्रस्तुत करते हुए विभाग की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट–47 अपूर्ण प्रस्तुत किया गया था, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि अन्य वांछित दस्तावेजात जी.आर., इन्वॉयस आदि वक्त चैकिंग मौजूद थे। केवल मात्र अपूर्ण वैट 47 पाये जाने के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। व्यवहारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था सरकार बनाम डी.पी. मेटल्स (2002) 1 एससीसी 279 को मध्यनजर रखते हुए व्यवहारी पर आरोपित शास्ति अंतर्गत धारा 76(6) उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. परिणामतः, अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2012 को बहाल किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य